

BENCH No. - 16  
 अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।  
 मिस केस संख्या- 201 / 20 20  
 धारा-107 दं०प्र०सं०

आशुतोष आशुवाल -बनाम- बंजाल रजत अन्व-4

	आदेश	
12/3/22	<p>अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित किया गया है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में <del>दोनों</del>/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्रप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं०प्र०सं० की कार्रवाई की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः याना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है।</p>	
	<p><i>A. Namini</i>                  12/3/22                  Member</p>	<p><i>glawds</i>                  12/3/22                  Member</p>